संख्या- 123/2018/946/22-4-18-48(60)/18

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 19 अगस्त, 2018

विषय- प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों को मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए एलईडी टेलीवीजन की व्यवस्था कराये जाने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27057/आधु0-1/एलईडी/2017, दिनांक 27 जुलाई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों को मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए एलईडी टेलीवीजन की व्यवस्था कराये जाने हेतु 64 कारागारों में एलईडी टेलीवीजन लगाये जाने के जैम पोर्टल के माध्यम से निम्न विवरणानुसार 900 एलईडी टेलीवीजन क्रय किये जाने हेतु रू0 3,37,50,000/-(रूपया तीन करोड़ सैंतिस लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्र0	कारागारों का नाम	**एलईडी टेलीवीजन की संख्या**	क्र0	कारागारों का नाम	**एलईडी टेलीवीजन की संख्या**
1	केन्द्रीय कारागार बरेली	20	15	जिला कारागार देवरिया	16
2	जिला कारागार बरेली	20	16	जिला कारागार महराजगंज	18
3	जिला कारागार बदायूँ	04	17	जिला कारागार आजमगढ़	25
4	जिला कारागार पीलीभीत	03	18	जिला कारागार बलिया	03
5	जिला कारागार शाहजहॉपुर	15	19	जिला कारागार मऊ	18
6	जिला कारागार मुरादाबाद	25	20	जिला कारागार बस्ती	11
7	जिला कारागार बिजनौर	15	21	जिला कारागार सिद्धार्थनगर	18
8	केन्द्रीय कारागार आगरा	20	22	केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़	11
9	जिला कारागार आगरा	15	23	जिला कारागार फतेहगढ़	18
10	जिला कारागार मथुरा	14	24	जिला कारागार इटावा	25
11	जिला कारागार मैनपुरी	12	25	जिला कारागार कानपुर नगर	06
12	जिला कारागार अलीगढ़	15	26	जिला कारागार कानपुर देहात	09
13	जिला कारागार एटा	15	27	जिला कारागार कन्नौज	07
14	जिला कारागार गोरखपुर	18	28	जिला कारागार झांसी	16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

29	जिला कारागार उरई	12	47	जिला कारागार फतेहपुर	15
30	जिला कारागार ललितपुर	04	48	जिला कारागार प्रतापगढ़	13
31	जिला कारागार मेरठ	25	49	जिला कारागार कौशाम्बी	15
32	जिला कारागार सहारनपुर	13	50	जिला कारागार बांदा	04
33	जिला कारागार गाजियाबाद	25	51	जिला कारागार हमीरपुर	10
34	जिला कारागार बुलन्दशहर	12	52	जिला कारागार चित्रकूट	20
35	जिला कारागार गौतमबुद्धनगर	30	53	उप कारागार महोबा	07
36	जिला कारागार मुजफ्फरनगर	05	54	जिला कारागार वाराणसी	20
37	जिला कारागार बागपत	15	55	केन्द्रीय कारागार वाराणसी	25
38	उप कारागार देवबन्द	02	56	जिला कारागार गाजीपुर	07
39	आदर्श कारागार लखनऊ	15	57	जिला कारागार ज्ञानपुर	04
40	नारी बंदी निकेतन लखनऊ	15	58	जिला कारागार मिर्जापुर	21
41	जिला कारागार लखनऊ	30	59	जिला कारागार सोनभद्र	15
42	जिला कारागार उन्नाव	04	60	जिला कारागार जौनपुर	03
43	जिला कारागार सीतापुर	25	61	जिला कारागार बाराबंकी	20
44	जिला कारागार खीरी	25	62	जिला कारागार गोण्डा	01
45	जिला कारागार हरदोई	02	63	जिला कारागार बहराइच	10
46	जिला कारागार रायबरेली	14	64	जिला कारागार बलरामपुर	05

(1) एलईडी टेलीवीजन का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम विभाग के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18.02.2017-97(ल030)/2015, दिनांक 23 अगस्त, 2017 "जो उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों में जैम पोर्टल की व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में है", में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

(2) एलईडी टेलीवीजन का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार जैम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्त-पुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(4) आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये एलईडी टेलीवीजन की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(5) स्वीकृति उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) एलईडी टेलीवीजन का क्रय करते समय क्रय सम्बन्धी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार को होगा।

------3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 30.11.2018 तक अवश्य कर लिया जाय।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(9) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- उक्त कारागारों में पूर्व में स्थापित एवं वर्तमान में स्थापित कराये जा रहे एलईडी टेलीवीजन की संख्या का सत्यापन सम्बनिधत कारागार अधीक्षक से कराकर संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30.03.2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-123/2018/946(1)/22-4-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

भवदीय,

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in